न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 47/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

मैसर्स गोपीनाथ मिष्ठान भण्डार, राजा शिवदास का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 28-06-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्रीमती मंजु अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर प्रथम श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी पर दिनांक 19.04.2018 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 आईओसी व 1 एचपीसी) मय एलपीजी 15.450 किग्रा. को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 01.02.2022 को अधिवक्ता श्रीमती मंजु ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 08.02.2022 को अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया, जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उक्त तारीख पेशी पर प्रार्थी पैरोकार सरकार ने विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 28.06.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 19.04.2018 को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर जांच कार्यवाही कर कुल 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 आईओसी व 1 एचपीसी) मय एलपीजी 15.450 किग्रा. जब्त किये गये जो कि दुकान में मिठाई बनाने के काम में लिये जा रहे थे। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और उनके स्वामित्व, संधारण बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। यहां तक कि सिलेण्डरों के कनेक्शन की भी प्रति पेश नहीं

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

की गई है। ऐसी स्थिति में हम जब्त सिलेण्डरों को अवैध मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें कुल 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 आईओसी व 1 एचपीसी) मय एलपीजी 15.450 किग्रा. शामिल है को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर